

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व

भू अभिलेख निरीक्षक

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंघ के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डोडरवेडा पटवार हल्का तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2077-78 में खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	डोडरवेडा	71, 73, 70, 68, 72, 48 50, 49	आठवीं पत्ती छोटागुजर	आठवीं पत्ती छोटा गुजर

क्रमांक/न्यायालय /2022

265

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री आठवीं पत्ती छोटा गुजर

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 19/10/2022



उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा